नेपाल के लोकप्रिय व्यंजन ''नॉनवैज मोमोज़'' की मांग इतनी ज्यादा है कि, संकटग्रस्त प्रजाति वाइल्ड वॉटर बफलो खतरे में आ गए हैं। यह प्रजाति नेपाल के पूर्वी मैदानों में मिलती है। नेपाल एग्रीकल्चरल रिसर्च काउन्सिल के शोधकर्ता भोजान धाकल ने कहा, ''हमने देखा है कि, नेपाल के बाजारों में मिलने वाला 70 प्रतिशत मीट बफलो का है। और अगर यह मीट वाइल्ड वॉटर बफलो और पालतू बफलो की संकर प्रजाति का है तो लोग इसके ज्यादा दाम देने को भी तैयार हो जाते हैं।'' नेपाल में इस संकर किस्म की भारी मांग है। स्थानीय समुदाय मानते हैं कि संकर किस्म की मादा ज्यादा दूध देती है। इसलिए भारत के लोग अपने पालतू बफलो, पूर्वी नेपाल के कोशी टप्पू वाइल्ड लाइफ रिज़र्व के पास खुले में संकरण के लिए छोड़ देते हैं। यह नेपाल का अंतिम हैबिटैट है जहाँ वाइल्ड बफलो पाए जाते हैं। रिज़र्व के चीफ वॉर्डन रमेश कुमार यादव ने कहा, ''पालतू बफलो का वाइल्ड वॉटर बफलो से साथ संकरण गैरकानूनी है। रिज़र्व के पास जब हमने पालतू बफलो का सर्वे किया तो हमें कुछ जानवरों में वाइल्ड बफलो के लक्षण दिखे। यह तो संकरण से ही संभव है।'' इन्टरनैशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर ने कहा कि, वाइल्ड वॉटर बफलो, जिन्हें स्थानीय स्तर पर आर्ना कहा जाता है, की रेंज में कभी बांग्लादेश, इण्डोनेशया, लाओस, मलेशिया, श्रीलंका व वियतनाम भी शामिल थे, पर, अब ये सिर्फ नेपाल, भूटान, भारत, कम्बोडिया, म्यानमार और थाईलैण्ड में ही मिलते हैं। गत तीन दशकों में इनकी आबादी 50 प्रतिशत तक घट गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है संकरण । कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि, विशुद्ध वाइल्ड वॉटर बफलो पालतू एवं जंगली भैंसों के साथ व्यापक अंतःप्रजनन के कारण संभवतया पहले ही लुप्त हो गए हैं। धाकाल कहते हैं कि, ''पालतू भैंसों को मीट के लिए संकरित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बजाय उन्हें कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जाए तो वे अपने मवेशी जंगल में नहीं छोडेंगे। पर यह आसान नहीं है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं।''

रैसलर्स साक्षी मलिक, बजरंग व विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी जॉइन की

माना जा रहा है कि, पहलवानों का यह फैसला बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग के लिए हो रहे आंदोलन के खत्म होने की शुरुआत है

- **सूत्र ने बताया, तीनों ने अपनी नौकरी जॉइन कर ली है। तीनों पहलवान धरने के लिए बीते 36 दिनों से छुट्टी पर थे और आंदोलन कर रहे थे।**
- **शनिवार की रात को ही विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की थी।**

नई दिल्ली, 5 जून। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन में शामिल साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने रेलवे की नौकरी फिर शुरू कर दी है। तीनों पहलवानों ने रेलवे की अपनी नौकरी जॉइन कर ली है। माना जा रहा है कि पहलवानों का यह फैसला बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग के लिए हो रहे आंदोलन के खत्म होने की शुरुआत है। हालांकि साक्षी मलिक ने ट्वीट कर आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को गलत बताया है और कहा कि मैं सत्याग्रह के साथ-साथ नौकरी की जिम्मेदारी भी निभा रही हूं।

शनिवार की रात को ही तीनों पहलवानों ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की थी। फिलहाल इस खबर पर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का बयान सामने नहीं आया है, जो इस आंदोलन के बड़े चेहरे रहे हैं। शनिवार की रात को ही विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की थी।

इस मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कानून इस मामले में अपना काम करेगा और आरोपों की जांच की जा रही है। यदि कोई भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। माना जा रहा है कि होम मिनिस्टर की ओर से आश्वासन मिलने के बाद ही साक्षी मलिक विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने यह फैसला लिया है।

तीनों पहलवानों को 28 मई को जंतर-मंतर से हटा दिया गया था, जहां वे धरना दे रहे थे। उत्तर रेलवे मुख्यालय के रिकॉर्ड के मुताबिक रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक ने 31 मई को रेलवे के बड़ौदा हाउस ऑफिस में जाकर नौकरी दोबारा जॉइन कर ली। इससे पहले 30 मई को तीनों पहलवान हरिद्वार गए थे और वहां गंगा में अपने मेडल बहाने का प्रयास किया था।

हालांकि उन्हें ऐसा ना करने के लिए किसान नेता नरेश टिकैत ने राजी कर लिया था और उनसे मेडल ले लिए थे। सूत्र ने बताया, तीनों ने अपनी नौकरी जॉइन कर ली है। तीनों पहलवान धरने के लिए बीते 36 दिनों से छुट्टी पर थे और आंदोलन कर रहे थे।

पूनिया ने बीते महीने इसे लेकर कहा था, हमने शुरुआत में 7 से 10 दिन तक की लीव ली थी। इसके बाद हम छुट्टी बढ़ाते रहे। अब तक हमारे ऊपर रेलवे की ओर से कोई दबाव नहीं आया है। हम अपनी छुट्टी के दौरान ऐसा कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो हम चाहते हैं और आंदोलन करना तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है।

डोभाल की अमेरिकी रक्षा मंत्री से दिल्ली में मीटिंग

नयी दिल्ली 5 जून (वार्ता)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सोमवार को यहां अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच समुद्री , सैन्य और एयरोस्पेस क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में सहयोग बढाने के उपायों पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार डोभाल ने दो दिन की यात्रा पर रविवार को यहां पहुंचे आस्टिन के साथ 'मेक इन इंडिया'

- **अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत आये हुये हैं।**

और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों की तर्ज पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण , सह उत्पादन और स्वदेशी क्षमता को बढ़ाने पर भी बातचीत की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय , क्षेत्रीय और हिन्द प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहित वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने साझा सुरक्षा हितों और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढाने पर अपना दृष्टिकोण रखा।

डीडवाना में 32 खान धारकों व खनन इंजीनियर के खिलाफ एफ.आई.आर.

यह एफ.आई.आर. डीडवाना की अदालत के आदेश पर दर्ज की गई है

- **अदालत ने यह आदेश कुचामन निवासी पूर्व सैनिक व पर्यावरण प्रेमी दातार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।**
- **याचिका में आरोप लगाया गया है कि, कोलिया और पीर पहाड़ी क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है।**

डीडवाना, 5 जून। उपखण्ड के कोलिया और पीर पहाड़ी क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर हो रहे खनन को डीडवाना के न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए 32 खान धरकों सहित खनिज अभियंता के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश डीडवाना पुलिस को दिए हैं। कुचामन निवासी पूर्व सैनिक और पर्यावरण प्रेमी दातार सिंह द्वारा दिए गए इस्तगासे के आधार पर कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए सभी खान धारकों के साथ खनिज अभियंता के खिलाफ भी मामला दर्ज करने के आदेश दिए।

दातार सिंह की वकील सुमन शेखावत के अनुसार क्षेत्र में खनन नियमों को ताक पर रखकर पहाड़ी क्षेत्र को पूरी तरह से छलनी कर दिया गया है। खान धारक अवैध ब्लास्टिंग के जरिये खनन कर रहे हैं और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही परिवादी ने खनिज विभाग से मिलीभगत कर सरकार को भी करोड़ों के राजस्व नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया है।

परिवादी की अपील पर कोर्ट ने आज मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में सुखाराम, बुद्धाराम जाट, बजरंग लाल पंवार, चेनाराम जाट, धापू देवी पवार, गिरधर गोपाल पवार, चेनाराम जाट, कमलेश कुमार, मांगीलाल, राजकुमारी पवार, रामनिवास जाट, प्रेमाराम, प्रेमाराम जाट, दिनेश चौहान, विनोद कुमार, भंवरी देवी, बजरंग लाल पंवार, किस्तूराराम जाट, नानूराम, रामनिवास, अर्जुन राम, छूनाराम, सत्यनारायण शर्मा, रामदेव, रामनिवास, महेंद्र पंवार सहित माइनिंग इंजीनियर नागौर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पैंथर्स पार्टी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वर्ष पहले राजस्थान में पैंथर पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष मनोनीत किया था। ज्ञातव्य है कि प्रो. भीम सिंह सुप्रसिद्ध राजपूत जनरल जोरावर सिंह के प्रपौत्र थे। शर्मा ने कहा कि भीम सिंह के पूर्वज मूलतः राजस्थान के ही थे।

लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक महाभारत में शकुनी मामा की भूमिका के लिए मशहूर हुए अभिनेता गूफी पेंटल का सोमवार की सुबह निधन हो गया। उनके परिजनों ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी। दिल और किडनी की बीमारियों से जूझ रहे पेंटल 78 वर्ष के थे। पंजाब के तरनतारन में चार अक्टूबर, 1944 को जन्मे पेंटल ने फिल्म चैतन्य महाप्रभु का निर्देशन भी किया। गूफी ने 1975 में रफूचक्कर से फिल्मी जीवन की शुरुआत की थी। उन्हें महाभारत धारावाहिक में शकुनि मामा की भूमिका से सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। उन्होंने ''देस परदेस'', ''दावा'' जैसी फिल्मों में अभिनय किया। वे टीवी सीरियल्स सी.आई.डी., कर्ण संगिनी, राधाकृष्ण का भी हिस्सा थे।

वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं के पहुँचने का रिकॉर्ड बना

जम्मू, 5 जून (वार्ता)। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के कटरा शहर की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर में इस साल पहले पांच महीनों में 38 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पहुंचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को

- **वैष्णो देवी गुफा मंदिर में इस साल पहले पांच महीनों में 38 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुँचे हैं, यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।**

यूनीवार्ता को बताया कि गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए कटरा शहर में भारी भीड़ है और तीर्थयात्री गुफा मंदिर में मत्था टेकने के लिए भवन के लिए रवाना हो रहे हैं।

एक अधिकारी ने कहा, इस साल अब तक पहले पांच महीनों में 38.47 लाख (38,47,584) तीर्थयात्री गुफा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं।

पेपर लीक मामले में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भजनलाल डबल ए क्लास का ठेकेदार है। उसे पेपर लीक मामले में भतीजी सोहनी देवी के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय 71 लाख रुपए नकद के साथ कुछ सबूत भी जब्त किए गए थे। भजन लाल ने सोहनी देवी के लिए पेपर खरीदा था जो परीक्षार्थी थी।

जालौर संवाददाता के अनुसार पेपर लीक मामले में ईडी ने सोमवार को सांचोर क्षेत्र के विभिन्न जगह दंबिश देकर कार्यवाही की। मुख्य आरोपी सांचौर के ही है। ई.डी. के पदाधिकारियों ने सांचोर के अचलपुर निवासी मुख्य आरोपी सुरेश ढाका के घर पर रेड की । ई.डी. की रेड पड़ने की सूचना पर सुरेश ढाका के पिता मांगीलाल अलमारी में बंद हो गये। अलमारी में बंद होने से वे बहोश हो गये तथा ई.डी. ने अलमारी से निकालकर उन्हें हॉस्पीटल में भर्ती करवाया। वही पेपर लीक मामले के एक अन्य मुख्य आरोपी सुरेश विश्नोई के घर भी ई.डी. ने रेड की। सुरेश विश्नोई की माता घबरा गई तथा उनकी भी तबीयत खराब हो गई। ई.डी. ने करीब सात जगह पर छापेमारी की कार्यवाही की। ई.डी. की कार्यवाही से पेपर लीक मामले के आरोपियों के घर हड़कम्प मच गया तथा ई.डी. के पदाधिकारियों ने उनसे पूछताछ कर कई दस्तावेज व अन्य जानकारी जुटाई। ई.डी. ने पेपर लीक के मास्टर माइंड आरोपी भूपेन्द्र सारण के घर पर भी रेड कर कई सबूत व दस्तावेज एकत्रित किये। वही एन.एस.यू.आई. के विकास मांजू, राजू मांजू सहित अन्य आरोपियो के घर पर छापामारी कर कार्यवाही की।

डूंगरपुर संवाददाता के अनुसार इस मामले में ई.डी. की एक टीम सोमवार सुबह डूंगरपुर में आर.पी.एस.सी. सदस्य बाबूलाल कटारा के घर पहुंची। इस दौरान घर के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सशस्त्र जवान तैनात किए गए, घर में परिवार के दो लोगों की मौजूदगी में ई.डी. की टीम जांच कर रही है। हालांकि कोई भी अधिकारी जांच को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। न्यू कॉलोनी के सुभाष नगर में बाबूलाल कटारा का घर है। सोमवार सुबह जयपुर नंबर की 2 इनोवा गाड़ी में करीब 10 अधिकारी और सुरक्षाकर्मियों की टीम डूंगरपुर पहुंची। ई.डी. के अधिकारियों के साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सशस्त्र जवान घर के बाहर चारों तरफ तैनात कर दिए गए। इसके बाद ई.डी. के अधिकारी घर में पहुंचे, जहां बाबूलाल कटारा की पत्नी और बेटा मौजूद थे। ई.डी. की टीम ने परिवार के लोगों से पूछताछ की।

अजमेर संवाददाता ने बताया कि सोमवार को अजमेर में भी इस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड और आरोपी बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास पर ई.डी. की टीम ने रेड की। दो कारों में सवार होकर आई ईडी की टीम में कुल 6 सदस्य थे, जो दोपहर के समय सीधे कटारा के टोडरमल लेन स्थित सरकारी आवास पहुंचे।

गौरतलब है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी द्वारा बाबूलाल कटारा को इसी साल 18 अप्रैल को उनके इसी सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान सरकार ने बाबूलाल कटारा को 15 अक्टूबर 2020 को आर.पी.एस.सी. का सदस्य नियुक्त किया गया था। आरोप है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर बाबूलाल कटारा के निर्देशन में ही तैयार हुए थे और इसी दौरान उन्होंने यह पेपर सरकारी शिक्षक शेर सिंह मीणा को 60 लाख रुपए में बेचा था। बाद में शेर सिंह ने यह पेपर पश्न पत्र पेपर लीक माफिया सुरेश ढाका को 80 लाख रुपए में बेच दिया था।

मुम्बई पुलिस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर रही नैशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी ने अदालत से कहा कि जमानत की अवधि पर पाबंदी रहनी चाहिये। प्रदीप शर्मा को तीन सप्ताह की जमानत मंजूर करते हुये, न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस तथा राजेश बिन्डिया की अवकाशकालीन बैंच ने शर्मा से कहा कि वे सुनवाई की अगली तारीख, 26 जून को अपनी पत्नी की सभी मैडिकल रिपोर्ट्स, जिनमें ट्रीटमैन्ट का स्टेट्स भी शामिल है, अदालत में पेश करें। शर्मा, पुलिस ऑफिसर दया नायक, विजय सलास्कर तथा रवीन्द्रनाथ आँग्रे के साथ, मुम्बई के उस पुलिस एनकाउन्टर स्कॉड के सदस्य थे, जिसने पिछले वर्षों में 300 से अधिक अपराधियों को मार डाला था।

बाइक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गई है जिसमें राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को अनुमति दे दी गई है कि वे राष्ट्रीय राजधानी में अपनी व्यावसायिक गतिविधि जारी रखें तथा शहर में चल रहे नॉन-ट्रांसपोर्ट दुपहिया वाहनों के संचालक-समूह के रूप में काम करते रहें।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को मद्देनज़र रखते हुये, उबर तथा रैपिडो नॉन-ट्रांसपोर्ट, जिनमें दुपहिया वाहन भी शामिल हैं, को काम में ले रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि मोटर वीकल एक्ट तथा मोटर वीकल ऐग्रीगेटर गाइडलाइन्सस 2020 के तहत, वैध परमिट प्राप्त किये बिना, राइड-पूलिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती।

'ए.सी.बी. अच्छा काम कर रही...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के लिए जनता का दिल जीतना पड़ता है, जनता की सेवा करके और जनता के काम करके चुनाव जीता जाता है, इन संस्थाओं से चुनाव नहीं जीता जाता है।

डोटासरा ने कहा- जिन्होंने पेपरलीक किया उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी वह कर दी गई। फिर भी ये किस बेस पर ई.डी. को घुसा रहे हैं। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, मैं तो स्वागत करता हूं कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कोई अपराध किया है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। पर आप बताइए जब हमारी सरकार अच्छे से कार्रवाई कर रही है और उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो फिर इसके बाद में इनका क्या रोल है? समझ में नहीं आ रहा। इमानदारी से कोई मामला बनता बनाएं, किसी ने जमाखोरी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, हमें दिक्कत नहीं है। इस मामले पर भाजपा नेताओं के बयानों पर डोटासरा ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ को तो बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए तो एनएचएम घोटाला हुआ था। तब केंद्र में यही भाजपा की सरकार थी, क्या ई.डी. आई थी? किस-किस के यहां क्या क्या मिला था, एक बार बता दीजिए। पिछले 5 साल में भाजपा शासित राज्य में क्या भ्रष्टाचार की घटना नहीं हुई? क्या भाजपा राज वाले एक भी प्रदेश में करप्शन का मामला नहीं है जिस पर ई.डी. जाए? केवल कांग्रेस शासित राज्यों में जहां पर सरकारें अच्छा काम कर रही है वहां ई.डी. भेज रहे हैं।

डोटासरा ने कहा कि, अब ये क्या करेंगे, जब आरपीएससी के मेंबर को हमारी सरकार ने बर्खास्त किया, हमारी सरकार ने उसको पकड़ा, उसके पैसे मिल गए कोई हमने छुपाया थोड़ी ही है। हमारी सरकार ने कुछ छुपाया नहीं तो फिर यह नौटंकी क्यों? फिर भी अगर किसी भी एजेंसी को लगता है कि कोई गड़बड़ है तो हमें जांच में कोई तकलीफ नहीं है। भजनलाल बिश्नोई के साथ खुद की फोटो वायरल होने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि अब तो ईडी आ गई है। अगर किसी ने गड़बड़ी की तो जेल की सलाखों में होगा। अगर फोटो से ही कोई अपराधी बनता है, तो बनाओ ना अपराधी। हम तो नेता हैं, लाखों लोग मिलते हैं, मेरे साथ किसकी कोई फोटो आई है, मैं तो किसी भजनलाल व्यक्ति के जानता नहीं और न मैंने जानने की चेष्टा की। बाबूलाल कटारा को भी मैं तो नहीं जानता था।

पटना में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दलों को एक साथ लाना आसान नहीं होगा। ऐसे में संयुक्त घोषणा पत्र और समन्वय समिति की जरूरत से इन्कार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार समन्वयक की भूमिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण पात्र साबित होंगे। त्यागी का तर्क है कि लालू प्रसाद को छोड़कर कांग्रेस से सभी दलों के रिश्ते पूरी तरह सहज नहीं हैं। ममता बनर्जी, अरवदि केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं को एक मंच पर लाने का दायित्व हर कोई नहीं संभाल सकता है।

सी.बी.आई. को बालासोर एक्सीडैंट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया था। जैसी पूरी-पूरी संभावना है कि सी.बी.आई. इस केस की जांच करेगी और अगर ऐसा होता है तो जानकारियों (इनपुट्स) के लिए काफी हद तक सी.आर.एस. पर निर्भर रहना पड़ेगा। विपक्षी दल यह पूछ रहे हैं-क्या जांच के काम में सी.बी.आई. को लाने की कोशिश के पीछे यह विचार है कि रेलवे को दोष मुक्त कर दिया जाये तथा लोगों का ध्यान रेल-सुरक्षा से जुड़े अति महत्वपूर्ण मुद्दों से हटा दिया जाये?

रेल-सुरक्षा की प्रक्रियाओं में तेजी लाने की जरूरत से जुड़े अनेकानेक मुद्दे हैं। इंडियन रेलवेज की अंदरूनी रिपोर्ट बताती हैं कि इलैक्ट्रॉनिक इन्टरलॉकिंग फेलियर्स, जैसी बालासोर में हुई है, विभिन्न रेलवे जोनों में होती ही रहती हैं। कन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सी.एंड ए.जी.) की 2022 की रिपोर्ट इस चौंका देने वाले तथ्य को उजागर करती है कि 2017 से लेकर 2022 तक की 5 साल के अवधि में पूरे भारत में ...ट्रेनों के पटरी से उतरने की 1000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं।'' जैसा कि सी.ए.जी. रिपोर्ट कहती है, ''राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष'', जो नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा बनाया गया पंचवर्षीय रेल सुरक्षा कोष है, के प्रथम प्राथमिकता वाले कार्यों पर होने वाले कुल खर्च में कमी की जा रही है। जहाँ 2017-18 में यह 81.55 प्रतिशत था, वहीं 2019-20 में यह 73.76 प्रतिशत कर दिया गया। ट्रैक नवीनीकरण के लिये आवंटित फंड में भी कमी की जा रही है- जहाँ 2018-19 में यह 9607.65 करोड़ रू. था, वहीं 2019-20 में यह कम होकर 7417 करोड़ रू. रह गया। इसके अलावा, ट्रैक नवीनीकरण (ट्रू रिन्यूअल) के लिये आवंटित फंड को पूरा काम में भी नहीं लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि बालासोर की दुर्घटना इस बात को बड़े जबरदस्त तरीके से इस बात की याद दिला रही है कि रेलवे को नियमित मेंटीनेंस के मुद्दों तथा सेफ्टी-ड्रिल्स पर ध्यान केन्द्रित करने की सख्त जरूरत है।

कर्नाटक में गौहत्या प्रतिबंध कानून हटायेगी राज्य सरकार?

मु.मंत्री सिद्धारमैया ने गौहत्या पर लगा प्रतिबंध हटाने के, अपने पशुपालन मंत्री के बयान का खुलकर बचाव किया

- **कर्नाटक भाजपा ने राज्य में गौहत्या कानून से प्रतिबंध हटाने की स्थिति में राज्य भर में आंदोलन करने की धमकी दी है।**
- **कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के. वैंकटेश ने बयान दिया कि, अगर भैंस और बैल काटे जा सकते हैं, तो गायों का क्यों नहीं। उन्होंने गत तीन जून को गौहत्या विरोधी कानून की समीक्षा करने की बात कही थी।**

बेंगलुरु 5 जून (वार्ता)। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में गोहत्या कानून पर से प्रतिबंध हटाने की स्थिति में राज्य भर में आंदोलन करने की धमकी दी है। दरअसल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने राज्य में पिछली भाजपा सरकार के गो हत्या प्रतिबंध संबंधी कानून को हटाये जाने के संकेत दिये हैं।

भाजपा के विधान परिषद सदस्य एन रावकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा,गाय और बैल हमारे किसानों के मित्र हैं, अगर भारत में खेती को बनाए रखना है, गाय, बैल और भैंसों को जीवित रहना है। अब सरकार गाय विरोधी कानून को वापस लेने पर विचार कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं और अगर इसे हटा लिया जाता है, तो हम राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।

भाजपा नेता कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश के गोवध पर प्रतिबंध को हटाने के इरादे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, उन्होंने विवादित बयान दिया कि अगर भैंस और बैल काटे जा सकते हैं, तो गायों का क्यों नहीं। उन्होंने तीन जून को गोहत्या विरोधी कानून पर एक नज़र डालने की मांग की।

कर्नाटक पशुवध रोकथाम और पशु संरक्षण अधिनियम जिसे भाजपा सरकार ने 2021 में लागू किया था। तब कांग्रेस ने इस कानून का विरोध किया था।

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि 1964 के अधिनियम के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु की गायों को मारने का प्रावधान है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हम कैबिनेट में इस (गौहत्या के मुद्दे) पर चर्चा करेंगे। इस मामले में 1964 के अधिनियम में जो कहा गया है, वह यह है कि (वध करने का प्रावधान है) 12 साल से अधिक उम्र की गायों, बांझ गायों और खेती के लिए अनुपयोगी गायों को मारने का प्रावधान है।

उन्होंने (वेंकटेश) ने कानून के पूर्ण विवरण को जाने बिना टिप्पणी की है। अधिनियम में संशोधन किया गया था, फिर हम इसे वापस लाए और इसे फिर से बदल दिया गया (पिछली भाजपा सरकार द्वारा)। हम इस पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे। सिद्दारमैया ने हालांकि स्पष्ट किया, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

वेंकटेश ने शनिवार को कहा था कि अगर भैंसों का वध किया जा सकता है तो गायों का क्यों नहीं।

उनके इस बयान पर भाजपा के बड़े पैमाने पर विरोध को किया, भाजपा ने कर्नाटक वध रोकथाम और मवेशी अधिनियम, 2020 पारित किया था। तब विपक्षी कांग्रेस ने इस कानून का विरोध किया था ,इस मामले में 2021 में कानून बना दिया गया था। वेंकटेश ने कहा कि किसान वृद्ध मवेशियों को रखने और मृतकों का निपटान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सोमवार की सुबह, कर्नाटक के पूर्व मंत्री प्रभु चव्हाण ने वेंकटेश को गोहत्या के पक्ष में बयान देने के लिए उन्हें 'मेंटल केस' बता दिया।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908